

(5)

रो. नि० की
आंच आख्या दिनांक 12-9-2000 के आधार पर

परिशिष्ट 10 054083 00670

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी रण विजय सिंह चौहान पुत्र/पुत्री राधायण सिंह चौहान ग्राम काभूरपुर जिला/प्रभाग गाजीपुर प्रदेश उत्तर प्रदेश के निवासी मौनेया समुदाय से सम्बन्धित है। जो निम्नलिखित के अन्तर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

1- भारत सरकार कल्याण मन्त्रालय के संकल्प 12011/68/93 बी सी सी (बी) दि० 10 सितम्बर 1993 के द्वारा जोकि भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित है।

2- भारत सरकार के कल्याण मन्त्रालय को संकल्प 12011/9/94 बीसीसी दिनांक 19-10-1994 जों भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-1 खण्ड 1 संख्या 163 दि- 20-10-1994 में प्रकाशित की गई है।

3- भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1 खण्ड 1 संख्या 88 दि० 25 मई 1995 को प्रकाशित संकल्प सं० 12011/7/95 बीसीसी दिनांक 25 मई 1995 को प्रकाशित हुआ है।

4- भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग 1 खण्ड 1 सं० 210 दिनांक 11 सितम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96 बीसीसी दिनांक 6 दिसम्बर 1996

श्री/श्रीमती रण विजय सिंह चौहान का परिवार साधारण तथा प्रदेश में जिला/प्रभाग में रहते/रहती है यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के श्रमिक पर प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 तथा (एम० सी० टी०) दिनांक 8-9-1993 को अनुसूची जो कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों वर्गों क्रीमीलेवर से सम्बन्धित नहीं है।

दिनांक: 12-9-2000

मुहर: 16/11/00

जिलाधीस गाँव उपायुक्त इत्यादि
मुहम्मदाबाद

टिप्पणी क) यहाँ प्रयुक्त साधारण तथा का अर्थ होयगी जिससे कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की खण्ड 20 से है।

टिप्पणी ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले मध्यम अधिकारी नीचे दिये गये है।

[1] जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट, कलेक्टर उपायुक्त डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टारडरी मजिस्ट्रेट संघ डिवीजन मजिस्ट्रेट/उलुक मजिस्ट्रेट ट्रेडिंग/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट का रैंक से नीचे नहीं।

[2] चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट


[3] राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे रैंक का न हो।

[4] उस क्षेत्र का सब डिवीजन आफिसर जहां अभ्यर्थी आर या उसका परिवार साधारणता रहता है।

डी ए वी पो 3/01/211/2001

सेवा में,

[Handwritten signature]



रो० सं० 5/-

22-10-00

यह प्रमाण-पत्र बेबसाइट <http://bor.up.nic.in> पर इसका क्रमांक अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।